IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कृषि साख में नाबार्ड की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सरिता सिंह सहायक आचार्य(अर्थशास्त्र) एम.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान

अनिल कुमार नागर सहायक आचार्य(अर्थशास्त्र) एम.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान

शोध सारांश

स्वतंत्रता के बाद से भारत में विकास योजना का मूल उद्देश्य ''विकास के साथ सामाजिक न्याय'' रहा है। नियोजित विकास की शुरुआत के बाद से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1981 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के संस्थागत वित्त प्रबंधन की समीक्षा के लिये समिति का सुझाव था कि ग्रामीण एवं कृषि साख के लिये ग्रामीण स्तर पर एक शीर्ष संस्था की स्थापना की जाए। जुलाई 1982 कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम का नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) रख दिया गया। नीति नियोजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करने और उनके संसाधन आधार को बढ़ाने के लिए नाबार्ड शीर्ष संस्था बन गया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास की शीर्ष संस्था के उत्तरदायित्व की भूमिका नाबार्ड ने आर बी आई से प्राप्त की। नाबार्ड ने पुनर्वित्त की जिम्मदारी ली जो कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम (ARDC) से प्राप्त की। प्रस्तुत पेपर कृषि साख में नाबार्ड की भूमिका और कार्य का विश्लेषण करता है। यह नाबार्ड के अतीत और वर्तमान के प्रदर्शन और ग्रामीण विकास के लिए इसकी योजनाओं पर भी प्रकाश डालता है।

मुख्य शब्द : नाबार्ड, नियोजन ,ग्रामीण विकास, कृषि पुनर्वित्त, कृषि साख ।

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश माना गया है हालांकि योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश काफी घट गया है फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कई दृष्टियों से आज भी बना हुआ है और भविष्य में भी बना रहेगा । ' राष्ट्रीय कृषि नीति ' कृषि महत्व को इंगित करते हुये कथन देती है कि '' कृषि जीवन का एक तरीका है, एक परंपरा है, जो सदियों से लोगों के विचार, दृष्टिकोण, संस्कृति और आर्थिक जीवन को आकार देती है।'' 2019–20 में सकल मूल्यवर्धन (GVA) में कृषि एवं सहायक क्रियाओं का अंश प्रचलित कीमतों पर 20.3 प्रतिशत रहा था । आजीविका के लिए देश की 48.7 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है । भारतीय कृषि अपने अस्तित्व के लिए मानसून की दया पर निर्भर रही है। लेकिन फिर भी कुछ अन्य इनपुट जो कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, आवश्यक हैं। आवश्यक इनपुट प्राप्त करने

और गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए, भारतीय किसान को ऋण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, कृषि अर्थव्यवस्था में ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण है और यह उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के जीवन स्तर को बढ़ावा देने में मदद करती है। लगातार जरूरतों, संस्थागत ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता, अनावश्यक देरी, बोझिल प्रक्रिया और संस्थागत ऋण देने वाली एजेंसियों द्वारा अपनाई गई अनुचित प्रथाओं के कारण किसान ऋण के गैर–संस्थागत स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। किसान आज भी 40 प्रतिशत तक की पूंजी अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेते हैं। कुल कृषि ऋण प्रवाह का 26 प्रतिशत , स्थानीय साहूकारों से आता है (जो किसानों का काफी शोषण करते हैं)।[3] किसानों को कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने में, भारत में बैंकों के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण का प्रावधान प्रमुख चुनौतियों में से एक रहा है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण एक महत्वपूर्ण इनपुट है।

आयोजन प्रक्रिया के आरंभ से ही भारत सरकार के सामने यह बात स्पष्ट थी कि ग्रामीण विकास को गति देने में संस्थागत ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है । अतः सरकार के निर्देश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया। योजना आयोग भारत सरकार के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में यह समिति 30 मार्च 1979 को गठित की गई । 28 नवंबर 1979 को प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट में समिति ने यह रेखांकित किया कि ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दों पर अखंडित रूप से ध्यान देने, उनको बलपूर्वक वांछित दिशा में ले जाने और उन पर सम्पूर्ण बल देने के लिए एक नई संस्थागत संरचना की आवश्यकता है । समिति की अनुशंसा थी कि अपनी तरह की एक विकास वित्तीय संस्था गठित की जाए जो इन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और संसद ने 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के गठन का अनुमोदन किया ।

रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी) के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 05 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित की गइ। 100 करोड़ रु. की आरंभिक पूँजी से स्थापित इस बैंक की चुकता पूँजी 31 मार्च 2021 को 15,080 करोड़ रु. हो गई। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच शेयर पूँजी की हिस्सेदारी में संशोधन के बाद आज नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है ।

नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य सहभागिता, संधारणीयता और समानता पर आधारित वित्तीय और गैर–वित्तीय सहयोगों, नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन करना है ।[4]

नाबार्ड के कार्य

(i) समन्वित ग्राम विकास को प्रोन्नत करने के लिए नाबार्ड कृषि, छोटे उद्योगों, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्पों और ग्रामीण दस्तकारियों और अन्य सम्बन्धित क्रियाओं के सभी प्रकार के उत्पादन एवं निवेश के लिए पुनर्वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।

(ii) कर्ज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको धनराशि भारत सरकार, विश्व बैंक व अन्य बहुपक्षीय व द्विपक्षीय एजेन्सियों से प्राप्त होती है। यह बाजार से उधार भी ले सकता है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण साख

(दीर्घकालीन कार्य व स्थायीकरण कोषों) से भी उधार ले सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक भी नाबार्ड को अल्पकालीन कार्यों के लिए उधार देता है।

(iii) यह राज्यीय सहकारी बैंकों (State Co-operative Banks), क्षेत्रीय ग्राम बैंकों, भूमि विकास बैंकों एवं रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन उधार उपलब्ध कराता है ।

(iv) यह राज्यीय सरकारों को (20 वर्ष की अवधि तक) दीर्घकालीन उधार देता है ताकि वे सहकारी उधार समितियों की हिस्सा – पूँजी में योगदान दे सकें।

(v) इसे यह दायित्व सौंपा गया है कि यह केन्द्र एवं राज्यीय सरकारों, योजना आयोग और अन्य अखिल भारतीय एवं राज्यीय स्तर के संस्थानों की उन क्रियाओं का समन्वय करे जो लघु–स्तर, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारियों, विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में उद्योगों आदि के विकास से सम्बन्धित हैं।

(vi) यह लघु व ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार, योजना आयोग, राज्य सरकारों आदि के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।

(vii) इसे यह दायित्व सौंपा गया है कि प्राथमिक सहकारी समितियों को छोड़कर क्षेत्रीय ग्राम बैंकों और सहकारी बैंकों का निरीक्षण करें।

(vii) यह कृषि तथा ग्राम विकास में अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए अनुसंधान एवं विकास–निधि भी रखता है।[5]

इस प्रकार नाबार्ड का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक रखा गया है।

नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाएं

नाबार्ड विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं भी प्रदान करता है जैसे:

1.ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) आरआईडीएफ कृषि के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक कोष है। राज्य सरकारों के साथ–साथ पंचायती राज संस्थाएं (PRIS), गैर–सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह आदि अपनी योजनाओं जैसे चल रही सिंचाई, बाढ़ संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाओं, ग्रामीण सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए RIDF से उधार लेने के पात्र हैं। , प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम हाट, संयुक्त वन प्रबंधन, टर्मिनल और ग्रामीण बाजार/गोदाम, वर्षा जल संचयन, वाटरशेड विकास, बाढ़ सुरक्षा, जल निकासी, कोल्ड स्टोरेज, नदी के किनारे मत्स्य पालन, फिशिंग हार्बर और जेटी, विद्युत क्षेत्र में लघु पनबिजली परियोजनाएं,ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, नागरिक सूचना केंद्र, आधुनिक बूचड़खाना, बीज/कृषि खेत, आदि।

2.किसान क्रेडिट कार्ड : किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन, खपत और सहायक गतिविधियों के लिए उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। नाबार्ड ने किसानों को उनकी भूमि के आधार पर किसान क्रेडिट

कार्ड जारी करने के लिए एक मॉडल योजना तैयार की है । इस सुविधा का उपयोग करने के लिए किसानों को व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों व सहकारी बैंकों से संपर्क करना होगा ।

3.माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन स्कीम : एमसीआईएस के तहत, नाबार्ड लागत प्रभावी और टिकाऊ तरीके से विभिन्न माइक्रोफाइनेंस नवाचारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं तक निरंतर पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

4.ग्रामीण आवास सुविधाओं के लिए पुनर्वित्त योजना : आरआरएचएफएस व्यक्तियों, सहकारी आवास समितियों, सार्वजनिक निकायों, आवास बोर्डों को सुधार ऋण प्रदान करता है। ट्रस्ट, स्थानीय निकाय, स्वैच्छिक एजेंसियां और एनजीओ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ पंजीकृत हैं, उनके द्वारा केवल 'ग्रामीण' क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के लिए एनएचबी के साथ वित्त के रूप में अच्छी तरह से नए घरों के निर्माण के लिए प्रदान करता है।

5.ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा घरों / वर्षा जल संचयन संरचनाओं / स्वच्छ शौचालयों आदि की मरम्मत/नवीकरण गहन अध्ययन और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास की समस्याओं में नई अंतदृ ष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा एक अनुसंधान और विकास कोष स्थापित किया गया है और तकनीकी और आर्थिक अध्ययनों द्वारा समर्थित नवीन दृष्टिकोणों की कोशिश की जा रही है। इसमें कृषि, ग्रामीण बैंकिंग और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तकनीकी–आर्थिक और अन्य सर्वेक्षणों का अध्ययन करके प्रशिक्षण, सूचना का प्रसार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की सुविधाएं शामिल हैं। फंड के लिए योग्य संस्थान स्वीकृत अनुसंधान संस्थान, संगठन और अन्य एजेंसियां हैं जो , अनुप्रयुक्त अनुसंधान में लगे हुए हैं, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों को भी सहायता प्रदान की जाएगी बशर्ते वे उपयुक्त संगठनों द्वारा प्रायोजित हों जो उचित उपयोग को प्रमाणित करेंगे । निजी और वाणिज्यिक संगठन आमतौर पर इस कोष के तहत सहायता के पात्र नहीं होते हैं।

6.स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना : इसका उद्देश्य बैंकिंग से छोटे कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, सेवा क्षेत्र, मछुआरों, स्व–नियोजित व्यक्तियों, रिक्शा मालिकों, अन्य सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना होता है।[6]

नाबार्ड की कार्य प्रगति

नाबार्ड अपनी विभिन्न गतिविधियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। 1993–94 के दौरान बैंक ने 3990 करोड़ ₹ के ऋण स्वीकार किये। 1994–95 में बैंक ने 4034 करोड़ ₹ के ऋण स्वीकार किये। ये ऋण बैंक दर से 3 प्रतिशत नीची रियायती दर पर दिए जाते हैं। नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों की ऋण उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने बैंकों को यह कहा है कि वे अपने अल्पकालीन ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत छोटे व सीमान्त किसानों एवं अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को उपलब्ध करवायें। नाबार्ड ने मध्यकालीन ऋणों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया है। बैंक राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देता है, ताकि वे सहकारी साख समितियों की अंशपूँजी में भाग ले सकें। 1995–96 में नाबार्ड ने 17,400 परियोजनाएँ स्वीकार कर 8800 करोड़ ₹ के ऋण मंजूर किये। 1999–2000 में नाबार्ड ने 44,612 करोड़ ₹ की वित्तीय सहायता स्वीकार की। वर्ष 2012–13 में नाबार्ड ने 5,08,289 परियोजनाओं के लिए 1,80,583 करोड़ ₹ की सहायता स्वीकृत की। 2015–16 में नाबार्ड ने 2,60,493 करोड़ ₹ के ऋण स्वीकार किये। वर्ष 2004–05 में नाबार्ड की बकाया ऋण राशि 48,354.75 करोड़

₹ थी। वर्ष 2008–09 में नाबार्ड की बकाया ऋण राशि 98,852 करोड़ ₹ रही। 31 मार्च, 2018 को नाबार्ड की अल्पकालीन व मध्यकालीन बकाया ऋण राशि 66,128.18 करोड़ ₹ थी। 31 मार्च, 2018 को दीर्घकालीन पुनर्वित्त बकाया ऋण राशि 1,18,478 करोड़ ₹ थी। 2018–19 में नाबार्ड ने 10,81,204 लाख ₹ के ऋण वितरित किये इनमें 9,21,695 लाख ₹ के दीर्घकालीन व 1,68,509 लाख ₹ के अल्पकालीन ऋण थे। बैंक ने छोटी सिंचाई, भूमि विकास, फार्म यन्त्रीकरण, बागवानी, मुर्गीपालन, भेड़पालन, सूअर पालन, मत्स्य, दुग्धशालाओं का विकास, संग्रहण आदि उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान किये है। ग्रामीण ढाँचा विकास कोष में नाबार्ड में अग्र प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान की है। नाबार्ड विभिन्न बैंकों से RIDF के लिए 12,290 करोड़ ₹ जमा करने में सफल रहा है। यह राशि सरकार द्वारा आबंटित 23,000 करोड ₹ की राशि के अतिरिक्त है। वर्ष 2002–03 में सरकार ने RIDF के लिए 5,500 करोड ₹ की राशि और आबंटित की है। मार्च, 2019 तक मंजूर राशि 3,04,956 करोड़ ₹ व वितरित राशि 2,68,220 करोड़ ₹ थी।[7]

नाबार्ड बैंकिंग दृष्टि से पिछड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा आदि को अधिक सहायता दे रहा है तथा कृषि क्षेत्र में विनियोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बैंक ने सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं। यह सहकारी साख समितियों के समन्वय पर बल दे रहा है। रिजर्व बैंक के सुझाव को ध्यान में रखकर यह अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख में भी समन्वय का प्रयास कर रहा है। नाबार्ड ने 127 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कमजोर बैंकों के रूप में पहचान कर उनके पुनः स्थापना का कार्य भी किया है। नाबार्ड भूमि विकास बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था को सुधारने में भी योगदान दे रहा है।

नाबार्ड की भूमिका का मूल्यांकन

नाबार्ड ने अब तक काफी स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनका सम्बन्ध लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, बागान / फलों के उद्यान, मुर्गी पालन / भेड़ पालन, सुअर पालन, मछली पालन, डेयरी विकास, भण्डारण व मण्डियों के निर्माण कार्य, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि से रहा है। कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों के विकास आदि पर बल दिया गया है।

(अ) प्रयोजनवार वितरण– नाबार्ड द्वारा वितरित राशि में से सर्वाधिक राशि फार्म–यंत्रीकरण के लिए थी, द्वितीय स्थान लघु सिंचाई का रहा। शेष राशि वृक्षारोपण/बागान, भूमि विकास, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मछली पालन, डेयरी विकास, भण्डारण व मण्डल यार्ड वगैरह के लिए वितरित की गई। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एग्राविका) के लिए भी काफी राशि वितरित की गई।

(आ) एजेन्सीवार वितरण –वितरित राशि में सर्वाधिक अंशः राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों का रहा, दूसरा स्थान अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का रहा था। शेष राशि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों की रही। इन संस्थाओं को नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त के रूप में सहायता दी जाती है ।

(इ) क्षेत्रवार वितरण – नाबार्ड द्वारा वितरित कुल राशि का अधिक अंश दक्षिणी क्षेत्र को उसके बाद क्रमशः उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र को प्राप्त हुआ है।[8]

नाबार्ड से उपेक्षा की गई थी कि वह पुर्नवित्त का कार्य , संस्थागत विकास , बैंकों के निरीक्षण का कार्य करें । नाबार्ड ने सबसे ज्यादा महत्व पुनर्वित्त को दिया जबकि संस्थागत क्षेत्र को दिया जाना चाहिए था । नाबार्ड मुख्यतः कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है लेकिन इनका कार्यान्वयन शहरी क्षेत्र में होता है इसलिए निम्नतम स्तर के साथ इसका गहरा संबंध स्थापित नहीं हो पाता है । साधन का अभाव भी नाबार्ड की प्रमुख समस्या है इसलिए वित्त एवं पुनर्वित्त में समस्या आती है ।

निष्कर्ष – नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कृषि व गैर–कृषि दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए हुई है। इसने लघु सिंचाई को बढ़ावा दिया है। लघु व सीमान्त कृषकों के लिए व्यापक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम चलाया गया है। भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि को समतल बनाने, इसको खेत का स्वरूप देने, नालियाँ बनाने आदि पर भी जोर दिया गया है। गैर– कृषि ग्रामीण कार्यकलापों में हथकरघों के आधुनिकीकरण, बुनकरों द्वारा शेयरों के अधिग्रहण, रेशम, नारियल के रेश स्वीकृत की हैं जिनका सम्बन्ध लघु सिंचाई, भूमि विकास, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों, ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों के विकास आदि पर बल दिया गया है। संस्थागत साख की वसूली पर जोर दिया गया है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के पुनर्गठन व पुनर्स्थापन पर बल दिया गया है । इस प्रकार नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण साख व्यवस्था को सुदृढ़ करके कृषि एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आशा है भविष्य में नाबार्ड का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में स्थान और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. इकोनामिक सर्वे 2021–22 पेज 12

2. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ,जी ओ आई ,न्यू । दिल्ली, फरवरी 2019

3.एनएसएसओ, आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16, वॉल्यूम द्वारा उद्धृत 70वें दौर का डेटा। 2, पृ. 110.

4- www-nabard.org

5.दत्त एवं सुंदरम, (2016),भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चंद पब्लिकेशन नई दिल्ली पृ. 630–634

6. Parvesh Kumar Goyal (2015),The role of NABARD in agriculture and rural development : An overview,International Research Journal of Commerce Arts and Science 6(10),

7. गुप्ता,डॉक्टर बी पी, वशिष्ठ डॉ वी के,शर्मा डॉक्टर ,(2022–23) भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था,आरबीडी पब्लिकेशन हाउस रमेश बुक डिपो जयपुर पृष्ठ संख्या (5.6 –5.8)

8.नाथूरामका लक्ष्मीनारायण , (2020–21)भारतीय अर्थव्यवस्था,आर बी डी पब्लिकेशन जयपुर, पृ.सं. 9.7 –9.8